

विहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं०सं०- सं०-1/छात्रवृत्ति प्रवे०के०प्रा०यो०-32/2008-- 89

प्रति,

क० सचिव कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

कृपया मे

अवर सचिव सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,
विहार, पटना।

पटना, दिनांक-13/8/23

विषय-वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI योजना अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्गों (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग) के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्यांश हेतु कुल राशि रु० 1751.40 लाख (रु० सत्रह करोड़ इक्यावन लाख चालीस हजार) मात्र का आवंटन।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संबंध में वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट उपबन्ध के आलोक में केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI योजना अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्गों (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग) के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-...88.. दिनांक-13/8/26 के द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्यांश मद में लम्बित दायित्व के भुगतान हेतु अन्य पिछड़े वर्गों (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग) के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्यांश हेतु कुल राशि रु० 1751.40 लाख (रु० सत्रह करोड़ इक्यावन लाख चालीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- उक्त स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI योजना अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्गों (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग) के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्यांश हेतु कुल राशि रु० 1751.40 लाख (रु० सत्रह करोड़ इक्यावन लाख चालीस हजार) मात्र आवंटित की जाती है।

3- कुल भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष-2026-27 में मांग संख्या 11- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मुख्यशीर्ष 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277-शिक्षा, उपशीर्ष 0215-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, विषय शीर्ष-34.01-छात्रवृत्ति/वजीफा, विपत्र कोड 11-2225-03-277-0215 पी0एफ0एग0एस0 कोड-9494 अन्तर्गत राज्यांश हेतु कुल राशि रु० 1751.40 लाख (रु० सत्रह करोड़ इक्यावन लाख चालीस हजार) मात्र विकलनीय होगा।

4- व्यय विभाग (PFMS प्रभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-1(13) PFMS/FCD/2020 दिनांक-23.03.2021 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में राशि का व्यय Single Nodal Agency(SNA) एवं Implementing Agency(IA) के बैंक खाता के माध्यम से किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया के तहत SNA Account के माध्यम से राशि की निकासी की जानी है। केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (60:40) हेतु Single Nodal Agency पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग है तथा कार्यान्वयन एजेंसी शिक्षा विभाग है।

5-उक्त आवंटित राशि के लिए निकासी पदाधिकारी, अवर सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग होंगे तथा व्ययन पदाधिकारी, Implementing Agency(IA) के रूप में अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, राशि की निकासी कर SNA के बैंक खाता (खाता संख्या-40661887820, IFSC Code-SBIN0000153, State Bank of India, Secretariat Branch, Sinchai Bhawan, Patna) में संधारित करेंगे। Implementing Agency (IA) शिक्षा विभाग के व्ययन पदाधिकारी केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI योजना के

P.T.O.

सहस्र अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिजोस्तर छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत निर्गत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संकल्प संख्या-1089, दिनांक-04.09.2025 के आलोक में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार SNA Account से राशि का व्यय करेंगे तथा व्यय की गयी राशि की व्यय विवरणी समय-समय पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को भेजेंगे।

8-उक्त आवंटित राशि का व्यय योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष-2025-26 के छात्रवृत्ति भुगतान के लिये किया जायेगा।

7- शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी छात्रवृत्ति की राशि उपर्युक्त कडिका-5 के आलोक में PFMS के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाता में राशि का DBT करेंगे। छात्रवृत्ति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समय-सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करत हुए इसकी सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को भेजेंगे।

8-संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

9-प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

10-प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

11-सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि के स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

12-कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(कै० सेंथिल कुमार),

अपर मुख्य सचिव।

पटना, दिनांक-13/8/2026

ज्ञापांक- सं०-1/छात्रवृत्ति प्रवे०के०प्रा०यो०-32/2008 89

प्रतिलिपि-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव।

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक- सं०-1/छात्रवृत्ति प्रवे०के०प्रा०यो०-32/2008- 89

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव।

पटना, दिनांक-13/08/2026

ज्ञापांक- सं०-1/छात्रवृत्ति प्रवे०के०प्रा०यो०-32/200- 89

प्रतिलिपि- अपर सचिव कोषांग/निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव (बजट शाखा)/ लेखा शाखा/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट शाखा), पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई० टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव।

पटना, दिनांक-13/08/2026

ज्ञापांक- सं०-1/छात्रवृत्ति प्रवे०के०प्रा०यो०-32/2008- 89

प्रतिलिपि-सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव।

पटना, दिनांक-13/08/2026

ज्ञापांक- सं०-1/छात्रवृत्ति प्रवे०के०प्रा०यो०-32/2008 89

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान अपर सचिव/माननीय मंत्री के प्रधान आस्था सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आस्था सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव।